



प्रशिक्षण एवं विकास इकाई  
उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
शक्ति भवन विस्तार, ( 9वाँ तल )  
लखनऊ

पत्रांक : 107 /उनिलि/प्रशिक्षण/मानदेय/ 2011

दिनांक : मई, 12.,2011

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में उत्पादन निगम लि० के व्याख्यानकर्ताओं तथा अतिथि व्याख्यानकर्ताओं को व्याख्यान देने हेतु प्रदत्त मानदेय एवं निःशुल्क भोजन प्रदान किये जाने सम्बंधी पूर्व के निगमादेश सं० 51/उनिलि/प्रशिक्षण/मानदेय/2008 दिनांक 30-01-2008 को निम्नलिखित सीमा तक अतिक्रमित करते हुये एतद्वारा निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-

#### 1.0 व्याख्यान हेतु मानदेयों की दर संशोधित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(क) उत्पादन निगम अथवा ऊर्जा क्षेत्र के अन्य निगमों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु:-

क्र०सं०	पदनाम	मानदेय प्रति घंटा (रु०)
1	उत्पादन निगम के पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)/अराजपत्रित कर्मचारी/सहायक अभियन्ता से नीचे के स्तर के कार्मिक	300/-
2	सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी	450/-
3	अधीक्षण अभियन्ता स्तर एवं उच्च स्तर के अधिकारी	525/-

(ख) उत्पादन निगम अथवा ऊर्जा क्षेत्र में सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु:-

क्र०सं०	पदनाम	मानदेय प्रति घंटा (रु०)
1	उत्पादन निगम के पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)/अराजपत्रित कर्मचारी/सहायक अभियन्ता से नीचे के स्तर के कार्मिक	375/-
2	सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी	600/-
3	अधीक्षण अभियन्ता स्तर एवं उच्च स्तर के अधिकारी	750/-

निगम के आदेश सं० 51/उनिलि/प्रशिक्षण/मानदेय/2008 दिनांक 30-01-2008 के शेष पद व शर्तें पूर्ववत रखते हुये यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता, होटल चार्ज, टैक्सी चार्ज इत्यादि यथावत रहेंगे।

#### 2.0 भोजन की दरों के संबंध में:-

निगम में प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण हेतु प्रोन्नत निगम कार्मिकों हेतु निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अधिकतम दर निम्नवत होगी:-

(क) अधिकारियों हेतु	रु० 160/- प्रति प्रतिभागी/प्रतिदिन
(ख) गैर अधिकारियों हेतु	रु० 140/- प्रति प्रतिभागी/प्रतिदिन

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कृ०पृ०३०

पत्रांक : 107 / उनिलि / प्रशिक्षण / मानदेय / 2011 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. निदेशक (तकनीकी/कार्मिक/वित्त), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
3. मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उनिलि सोनभद्र /सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/कासिमपुर-अलीगढ़ ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), अनपरा/ओबरा ताप विद्युत गृह ।
6. महाप्रबन्धक (वित्त), उनिलि, शक्ति भवन विस्तारी, लखनऊ ।
7. कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा ।
9. कट फाइल ।

  
 (राजीव प्रसाद)  
 अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)